



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244598
CG-DL-E-22032023-244598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1325]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1325]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1378(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कामरूप (NH17) के कि.मी. 173.434 से 200.75 असम राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH17 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH17 के कि.मी. 173.434 से 200.75 तक	असम	कामरूप			
					पलाश बारी	1	सतपखाली
						2	मागूरपारा
						3	पाराकुची
						4	उरपुट

[फा. सं. PMU-BNGN/B-G/Pkg-10/120/LA/2022-23]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1378(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 173.434 to 200.75 of DC office KAmrup (NH17) in the State of ASSAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH17 in the State of ASSAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner 0	173.434KM To 200.75KM	ASSAM	KAMRUP	Palasbari	1	Satpakhali
						2	Magurpara
						3	Parakuchi
						4	Urput

[F. No. PMU-BNGN/B-G/Pkg-10/120/LA/2022-23]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.